छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग ःमंत्रालयःः

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

35! क्रमांक /एल 2019-31-00801/वि/नि/चार नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 1 1/06/2025 प्रति,

- प्रमुख सचिव / सचिव
 लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
 मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
- समस्त प्रमुख अभियंता / मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता / कार्यपालन अभियंता
 लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
 छत्तीसगढ़।
- समस्त संभागीय आयुक्त छत्तीसगढ।
- समस्त जिलाध्यक्ष छत्तीसगढ

विषय:-वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग-2 में कार्य विभागों के प्रत्यायोजनों का संशोधन।

---0---

राज्य शासन एतद्द्वारा वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग—2 में कार्य विभागों हेतु लागू वर्तमान प्रत्यायोजनों को अधिक्रमित करते हुए संलग्न परिशिष्ट अनुसार अधिकारों का प्रत्यायोजन करता है।

2/ यह संशोधन आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगा। संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

अपर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पू.कं. /एल 2019—31—00801/वि/नि/चार नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 17/06/2025 प्रतिलिपि:—

- 1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
- 2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
- प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
- रिजस्ट्रार जनरल / महाधिवक्ता / उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
- सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर/नवा रायपुर अटल नगर
- निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर
- प्रधान महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
- मुख्य सचिव के उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के निज सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
- 10. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर
- 11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
- 12. राज्य सूचना आयुक्त, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर
- 13. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विविध सेवा मार्ग, बिलासपुर
- 14. समस्त विशेष सचिव/ अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्त्व्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
- 15. संचालक, कोष एवं लेखा / पेंशन एवं भविष्य निधि, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर
- 16. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
- 17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
- 18. समस्त वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, जिला / इन्द्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
- प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर/दुर्ग/अंबिकापुर/जगदलपुर, छत्तीसगढ़
- 20. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, नवा रायपुर अटल नगर
- 21. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
- 22. प्रेस अधिकारी, प्रेस प्रकोष्ठ, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

– को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु

23. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नवा रायपुर अटल नगर को वित्त विभाग की बेबसाइट finance.cg.gov.in में अपलोड करने हेतु

अंवर सचिव

छत्तीसगढ शासन, वित्त विभाग

कार्य विभाग

लोक निर्माण विमाग, जल संसाधन विमाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

Works Department

Publice Works Department, Water Resources Department, Public Health Engineering Department

कार्य विभाग

(लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग)

स. क्र.	विवरण	शक्तियों के प्रयोग हेतु सक्षम प्राधिकारी	प्रत्यायोजन की सीमा	খার্ন
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	सिविल/विद्युत/यांत्रिकी कार्यों हेतु दरों की अनुसूची निर्धारित करना तथा संशोधन करना।	प्रमुख अभियंता / मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता :	पूर्ण शक्तियाँ	
2	निर्माण कार्यों / परियोजनाओं के लिए प्रशासकीय स्वीकृति देना		पूर्ण शक्तियाँ	1. सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति लेने से बचने के लिए सर्वे प्राक्कलन को उप-प्राक्कलनों में विमक्त नहीं किया जाएगा।
	1.निर्माण कार्यों / परियोजनाओं का सर्वे तथा अनुसंघान	2. प्रमुख अभियंता	रू. 50 लाख तक	 इन मदों पर "सर्वे" उपशीर्ष के अन्तर्गत प्राप्त एकमुश्त बजट की
		3. मुख्य अभियंता	रू. 20 लाख तक	राशि में से व्यय किया जावेगा।
		4. अधीक्षण अभियंता	रू. 10 लाख तक	1
		5. कार्यपालन अभियंता	ক. 2.5 লাভ্ৰ নক	7
	2. सिंचाई तथा पी.एच.ई. कार्य हेतु बड़े पुलों, छोटे पुलों, पुलों	1. प्रशासनिक विभाग	पूर्ण शक्तियाँ	- ·
	2. 1सचाइ तथा पा.एच.इ. काय हतु बड़ पुला, छाट पुला, पुला तथा सड़कों पर पुलियों सहित सड़कों एयं पुलों के लिए डी.पी. आर. तैयार करना।		रू. 50 लाख तक	-
		 मुख्य अभियंता 	रू. 20 लाख तक	
		4. अधीक्षण अभियंता	रू. 10 लाख तक	
		 कार्यपालन अभियंता 	रू. 2.5 लाख तक	
3	इस बात पर ध्यान बिना दिये कि निर्माण कार्यों की लागत क्या होगी, मौजूदा निर्माण कार्यों में सुधार के लिए प्रारंभिक साध्यता		रू. 10 लाख तक	यदि मौजूदा निर्माण कार्यों के लिए बजट में विशिष्ट प्रावधान नहीं है तो व्यय को वार्षिक मरम्मत मद में विकलित किया जा सकता
	(feasibility) प्रस्ताव के अनुसंघान संबंधी प्राक्कलन को	मुख्य अभियंता	रू. 5 लाख तक	है।
	प्रशासकीय अनुमोदन देना।	3. अधीक्षण अभियंता	रू. 1 लाख तक]
4	आवासीय भवनों को छोड़कर निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय	1. प्रशासनिक विभाग	रू. 80 लाख तक प्रति कार्य	1. बशर्ते निर्माण कार्य नवीन मद की श्रेणी का न हो।
	आवासीय मवना को छाड़कर निर्माण काय हतु प्रशासकाय अनुमोदन प्रदान करना (बजट में नए मद के रूप में शामिल न होने पर)	2. प्रमुख अभियंता	रू. 50 लाख तक प्रति कार्य	-2. किसी भी स्थिति में ऐसे निर्माण की पुनरीक्षित लागत रू. करोड़ से अधिक न हो। 3. यह प्रत्यायोजन मात्र पूर्ण कार्य हेतु लागू होगा, किसी कार्य वं
		3. मुख्य अभियंता	रू. 20 लाख तक प्रति कार्य	भाग हेतु नहीं।
5	शासकीय भवनों (गैर आवासीय) में परिवर्तन परिवर्धन, तथा फेर बदल कार्यों के लिए प्राक्कलन को प्रशासकीय अनुमोदन देना		पूर्ण शक्तियाँ	
	विषय कार्या के लिए प्राक्कलन का प्रशासकाय अनुसादन दना	2. मुख्य अभियंता	स्त. 10 लाख तक	1
	\bigcap	3. अधीक्षण अभियंता	रू. 5 लाख तक	

WORKS DEPARTMENT

(PUBLIC WORKS DEPARTMENT, WATER RESOURCES DEPARTMENT, PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT)

S.No.	Description	Authority competent to exercise the powers	Extent of Delegation	Conditions
1	2	3	4	5
1	To fix and revise Schedule of Rates for Civil/ Electrical/ Mechanical work.	Engineer- in-Chief/ Chief Engineer/ Superintending Engineer	Full powers	
2		Administrative Department	Full powers	(i) Survey estimate shall not be split up into sub- estimates to avoid obtaining approval of competent
		2. Engineer in Chief	Up to Rs. 50 lakh	authority.
	1800 USB	3. Chief Engineer	Up to Rs. 20 lakh	(ii) Expenditure to be made from lump sum budget provision of such items provided under 'survey sub-
		Superintending Engineer	Up to Rs. 10 lakh	head'
		5. Executive Engineer	Up to Rs. 2.5 lakh	
	(ii) Preparation of DPR for Roads and Bridges	Administrative Department	Full powers	
	including Major Bridges, Minor Bridges, Culverts Over Bridges and Roads for WRD	2. Engineer in Chief	Up to Rs. 50 lakh	1
	works and PHE works.	3. Chief Engineer	Up to Rs. 20 lakh	
		4. Superintending Engineer	Up to Rs. 10 lakh	
		5. Executive Engineer	Up to Rs. 2.5 lakh	Ī
	To accord administrative approval to estimates for the investigation of preliminary feasibility		Up to Rs. 10 lakh	Expenditure can be debited to Annual Maintenance if there is no specific budget provision for the existing
	for the investigation of preliminary feasibility proposals for the improvement of existing	2. Chief Engineer	Up to Rs. 5 lakh	works.
	works irrespective of what the cost of work is likely to be.	3. Superintending Engineer	Up to Rs. 1 lakh	
4	To accord administrative approval for construction works except residential buildings	1. Administrative Department	Up to Rs.80 lakh per work	i. Subject to the condition that the subjected construction work does not fall under the criteria of New
		2. Engineer in Chief	Up to Rs.50 lakh per work	item.
	:	3. Chief Engineer	Up to Rs. 20 lakh per work	 ii. In any case revised cost of such construction should not exceed Rs. 1 crore. iii. This delegation shall apply only to one complete work and not to a fraction of it.
5	To accord administrative approval to estimates	1. Engineer in Chief	Full powers.	
	for works of modification, addition and alteration relating to Government building (non-	2. Chief Engineer	Up to Rs. 10 lakh	1
		3. Superintending Engineer	Up to Rs. 5 lakh	1

ghe

	प्राधिकारी		
(2)	(3)	(4)	(5)
कार्य विमागों की पुस्तकों में आवासीय मवनों में परिवर्धन तथा फेर-बदल के लिए प्राक्कलन को प्रशासकीय अनुमोदन देना	1. प्रमुख अभियंता	क. 20 लाख तक	(1) निधि की उपलब्धता होने पर। (2) परिवर्तन तथा फेर-बदल से भवन की श्रेणी नहीं बदली जाना चाहिए।
	2. मुख्य अभियंता	रू. 10 लाख तक	
	3. अधीक्षण अभियंता	ক. 5 লাভ্ৰ নক	
	4. कार्यपालन अभियंता	रू. 2.5 लाख तक	
वेशेष मरम्मत के कार्यों (भवन मरम्मत कार्यों के अलावा) को प्रशासकीय अनुमोदन देना	1. प्रमुख अभियंता	रू. 50 लाख तक	निधि की उपलब्धता होने पर।
Ministra organa i a u	2. मुख्य अभियंता	रू. 20 लाख तक	
	3. अधीक्षण अभियंता	रू. 5 लाख तक	
	4. कार्यपालन अभियंता	रू. 1 लाख तक	
शासकीय भवनों की विशेष मरम्मत के कार्यो को प्रशासकीय अनुस्तराज्य देना	1. प्रमुख अभियंता	क. 50 लाख तक	
अनुभादन दना -	2. मुख्य अभियंता	रू. 20 लाख तक	
	3. अधीक्षण अभियंता	रू. 5 लाख तक	
	4. कार्यपालन अभियंता	रू. 1 लाख तक	
	1. प्रशासकीय विभाग	पूर्ण शक्तियाँ	उक्त सीमायें—
थाकृति दना	2. प्रमुख अभियंता	ক. 50 লা ख तक	- प्रतिशत प्रमार को छोड़कर कार्यों के लागत हेतु है। -
	3. मुख्य अभियंता	रू. 20 लाख तक	
	4. अधीक्षण अभियंता	रू. 10 लाख तक	
	5. कार्यपालन अभियंता	रू. 1 लाख तक	
शीर्ष कार्य (Head Works) हेतु डिजाईन तथा प्राक्कलन	1. मुख्य अभियंता	पूर्ण शक्तियाँ	
·	2. अधीक्षण अभियंता	1000 हेक्टयेर से कम कृषि योग्य सिंचित क्षेत्र के परियोजना के मामले में पूर्ण शक्तियाँ	
	3. कार्यपालन अभियंता	200 हेक्टयेर से कम कृषि योग्य सिंचित क्षेत्र के परियोजना के मामले में पूर्ण शक्तियाँ	
व व व	हार्य विभागों की पुस्तकों में आवासीय भवनों में परिवर्धन तथा हेर-बदल के लिए प्राक्कलन को प्रशासकीय अनुमोदन देना विशेष मरम्मत के कार्यों (भवन मरम्मत कार्यों के अलावा) को शशासकीय अनुमोदन देना शासकीय भवनों की विशेष मरम्मत के कार्यों को प्रशासकीय प्रमुमोदन देना हार्य विभागों द्वारा डिपाजिट (अंशदान) कार्य के निष्पादन की स्वीकृति देना	कार्य विभागों की पुस्तकों में आवासीय भवनों में परिवर्धन तथा केर—बदल के लिए प्राक्कलन को प्रशासकीय अनुमोदन देना 2. मुख्य अभियंता 3. अधीक्षण अभियंता 4. कार्यपालन अभियंता वेशेष मरम्मत के कार्यों (भवन मरम्मत कार्यों के अलावा) को 1. प्रमुख अभियंता 2. मुख्य अभियंता 3. अधीक्षण अभियंता 4. कार्यपालन अभियंता 4. कार्यपालन अभियंता 7. प्रमुख अभियंता 8. अधीक्षण अभियंता 8. अधीक्षण अभियंता 9. मुख्य अभियंता 1. प्रमुख अभियंता 1. प्रमुख अभियंता 2. मुख्य अभियंता 3. अधीक्षण अभियंता 4. कार्यपालन अभियंता 5. प्रमुख अभियंता 7. प्रमुख अभियंता 7. प्रमुख अभियंता 8. अधीक्षण अभियंता	हार्य विभागों की पुस्तकों में आवासीय भवनों में परिवर्षन तथा 1. प्रमुख अभियंता 2. मुख्य अभियंता 3. अधीक्षण अभियंता 4. कार्यपालन अभियंता 5. काख तक वेशेष मरम्मत के कार्यो (भवन मरम्मत कार्यों के अलावा) को 1. प्रमुख अभियंता 2. मुख्य अभियंता 3. अधीक्षण अभियंता 4. कार्यपालन अभियंता 5. काख तक 4. कार्यपालन अभियंता 6. कार्यपालन अभियंता 7. मुख्य अभियंता 8. 20 लाख तक 8. 5 लाख तक 8. 5 लाख तक 8. 1 लाख तक 9. 1 लाख तक 9. 1 लाख तक 9. 1 लाख तक 9. 20 लाख तक 9. 1 लाख तक 9. 1 लाख तक 9. 20 लाख तक 9. 1 लाख तक 9. 1 लाख तक 9. 20 लाख तक 9. 1 लाख तक 9. 20 लाख तक 1. प्रमुख अभियंता 1. प्रमुख अभियंता 1. प्रमुख अभियंता 2. मुख्य अभियंता 3. अधीक्षण अभियंता 4. कार्यपालन अभियंता 5. काख तक 9. 1 लाख तक 9. 1 लाख तक 9. 1 लाख तक 9. 20 लाख तक 9. 20 लाख तक 9. 1 लाख तक 9. 20 लाख तक 9. 20 लाख तक 9. 1 लाख तक 9. 1 लाख तक 9. 1 लाख तक 9. 20 लाख तक 9. 20 लाख तक 9. 1 लाख तक 9. 3 लाख तक 9. 3 लाख तक 9. 4 अधीक्षण अभियंता 1. मुख्य अभियंता 9. 5 लाख तक 9. 1 लाख तक 9. 1 लाख तक 9. 1 लाख तक 9. 1 लाख तक 9. 20 लाख तक 9. 20 लाख तक 9. 3 लाख तक 9. 3 लाख तक 9. 4 अधीक्षण अभियंता 1. मुख्य अभियंता 9. 5 लाख तक 9. 1 लाख तक 9. 1 लाख तक 9. 20 लाख तक 9. 20 लाख तक 9. 3 लाख तक 9. 4 अधीक्षण अभियंता 9. 5 लाख तक 9. 1 लाख तक 9. 1 लाख तक 9. 20 लाख तक 9. 20 लाख तक 9. 3 लाख तक 9. 3 लाख तक 9. 4 अधीक्षण अभियंता 9. 5 लाख तक 9. 4 अधीक्षण अभियंता 9. 5 लाख तक 9. 5 लाख तक 9. 1 लाख तक 9. 1 लाख तक 9. 20 लाख तक 9. 20 लाख तक 9. 3 लाख तक 9. 3 लाख तक 9. 4 अधीक्षण अभियंता 9. 5 लाख तक 9. 5 लाख तक 9. 1 लाख तक 9. 20 लाख तक 9. 20 लाख तक 9. 3 लाख तक 9. 4 अधीक्षण अभियंता 9. 5 लाख तक 9. 5 लाख

S.No.	Description	Authority competent to exercise the powers	Extent of Delegation	Conditions
1	2	3	4	5
6	To accord administrative approval to estimates for additions and alterations to residential	1. Engineer in Chief	Up to Rs. 20 lakh	(1) Subject to the availability of fund- (2) Class of building should not be changed due to
	3	2. Chief Engineer	Up to Rs. 10 lakh	addition and alteration
		3. Superintending Engineer	Up to Rs. 5 lakh	
		4. Executive Engineer	Up to Rs. 2.5 lakh	
7	To accord administrative approval to special repair works (other than building repair works)	1. Engineer in Chief	Up to Rs. 50 lakh	Subject to the availability of funds
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2. Chief Engineer	Up to Rs. 20 lakh	
		3. SuperIntending Engineer	Up to Rs. 5 lakh	
		4. Executive Engineer	Up to Rs. 1 lakh	
8	To accord administrative approval to special	1. Engineer in Chief	Up to Rs. 50 lakh	
		2. Chief Engineer	Up to Rs. 20 lakh	
		3. Superintending Engineer	Up to Rs. 5 lakh	
		4. Executive Engineer	Up to Rs. 1 lakh	
	(Contributions) work by the Works	Administrative Department	Full powers	The limits represent the cost of the work exclusive of the percentage charges.
	Departments	2. Engineer in Chief	Up to Rs. 50 lakh	
		3. Chief Engineer	Up to Rs. 20 lakh	
		4. Superintending Engineer	Up to Rs. 10 lakh	
		5. Executive Engineer	Up to Rs. 1 lakh	
10	Design and estimate for head works.	1. Chief Engineer	Full powers	
		2. Superintending Engineer	Full powers in respect of projects with CCA less than 1000 ha	
		3. Executive Engineer	Full powers in respect of projects with CCA less than 200 ha	
	(gh)			•

स. क्र.	विवरण	शक्तियों के प्रयोग हेतु सक्षम प्राधिकारी	प्रत्यायोजन की सीमा	शर्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	पहुँच मार्ग तथा उसके ढाँचे का रूपांकन एवं प्राक्कलन	1. मुख्य अभियंता	पूर्ण शक्तियाँ	
		2. अधीक्षण अभियंता	समस्त गौण सिंचाई परियोजनाओं के मामले में पूर्ण शक्तियाँ	
		3. कार्यपालन अभियंता	500 हेक्टयेर से कम कृषि योग्य सिंचित क्षेत्र के परियोजनाओं के मामले में पूर्ण शक्तियाँ	
12	आवासीय तथा गैर आवासीय मध्यम परियोजनाओं के प्राक्कलन	अधीक्षण अभियंता	पूर्ण शक्तियाँ	
	लघु योजनाओं के आवासीय तथा गैर आवासीय भवनों का प्रा वक लम		पूर्ण शक्तियाँ	
14	मुख्य नहर तथा शाखा नहर के मिट्टी कार्य (Earth Work) एयं ढांचे का रूपांकन एवं प्राक्कलन		पूर्ण शक्तियाँ	
		2. अधीक्षण अभियंता	10 घन मीटर प्रति सेकण्ड बहाय क्षमता तक पूर्ण शक्तियाँ	
		3. कार्यपालन अभियंता	1 घन मीटर प्रति सेकण्ड बहाव क्षमता तक पूर्ण शक्तियाँ	
	वितरक नहर तथा माइनर नहर के मिट्टी कार्य का रूपांकन तथा प्राक्कलन		पूर्ण शक्तियाँ	
		2. अधीक्षण अभियंता	3 घन मीटर प्रति सेकण्ड बहाव क्षमता तक	
		3. कार्यपालन अभियंता	आधा घन मीटर प्रति सेकण्ड बहाव क्षमता तक	
	वितरक नहर तथा माइनर नहर के ढांचे का रूपांकन तथा	1. मुख्य अभियंता	पूर्ण शक्तियाँ	
	प्राक्कलन	2. अधीक्षण अभियंता	3 घन मीटर प्रति सेकण्ड बहाय क्षमता तक	
			आधा घन मीटर प्रति सेकण्ड बहाव क्षमता तक	·
	वाटर कोर्स तथा फील्ड चैनल का मिट्टी कार्य प्राक्कलन	सहायक अभियंता	पूर्ण शक्तियाँ	
18	वाटर कोर्स तथा फील्ड चैनल पर ढांचे का प्राक्कलन	सहायक अभियंता	पूर्ण शक्तियाँ	
	(a)V		·	15.

Description	Authority competent to exercise the powers	Extent of Delegation	Conditions
2	3	4	5
Design and estimate of approach road and the structures thereof.	1. Chief Engineer	Full powers	
	2. Superintending Engineer	Full powers in respect of all minor irrigation project	
	3. Executive Engineer	Full powers in respect of projects with CCA less than 500 ha	
Estimate of residential and non-residential medium projects.	Superintending Engineer	Full powers	
Estimates of residential and non-residential buildings of minor scheme.	Executive Engineer	Full powers	
of main canal and branch canal	1. Chief Engineer	Full powers	
	2. Superintending Engineer	Full powers up to 10 cumecs capacity	
		Full powers up to 1 cumecs capacity	
Design and estimates of earth work of distributory and minors.	1. Chief Engineer	Full powers	
	2. Superintending Engineer	Up to 3 cumecs capacity	
	3. Executive Engineer	Up to half cumecs capacity	
	1. Chief Engineer	Full powers	
	2. Superintending Engineer	Up to 3 cumecs capacity	
19	3. Executive Engineer	Up to half cumecs capacity	
Earth work Estimates of water courses and field channels.	Assistant Engineer	Full powers	
Estimates of structures on water courses and field channels.	Assistant Engineer	Full powers	
	Design and estimate of approach road and the structures thereof. Estimate of residential and non-residential medium projects. Estimates of residential and non-residential buildings of minor scheme. Design and estimates of earth work/structures of main canal and branch canal Design and estimates of earth work of distributory and minors. Design and estimates of structures of distributories and minors. Earth work Estimates of water courses and field channels.	Design and estimate of approach road and the structures thereof. 2. Superintending Engineer 3. Executive Engineer Estimate of residential and non-residential medium projects. Estimates of residential and non-residential buildings of minor scheme. Design and estimates of earth work/structures of main canal and branch canal Design and estimates of earth work of 1. Chief Engineer 3. Executive Engineer 2. Superintending Engineer 3. Executive Engineer 3. Executive Engineer 3. Executive Engineer 2. Superintending Engineer 3. Executive Engineer 4. Superintending Engineer 3. Executive Engineer 4. Superintending Engineer 5. Superintending Engineer 6. Superintending Engineer 7. Superintending Engineer 8. Executive Engineer 9. Superintending Engineer 1. Chief Engineer 1. Chief Engineer 3. Executive Engineer 4. Superintending Engineer 5. Superintending Engineer 6. Superintending Engineer 8. Executive Engineer 9. Superintending Engineer 9. Superintending Engineer 9. Superintending Engineer 1. Chief Engineer 1. Chief Engineer 3. Executive Engineer 4. Superintending Engineer 8. Superintending Engineer 9. Superintending Engineer 1. Chief Engineer 2. Superintending Engineer 3. Executive Engineer 4. Superintending Engineer 8. Executive Engineer 9. Superintending Engineer 9. Superintending Engineer 9. Superintending Engineer 1. Chief Engineer 2. Superintending Engineer 3. Executive Engineer 4. Superintending Engineer 8. Executive Engineer 9. Superintending Engineer 9. Superintending Engineer 1. Chief Engineer	Design and estimate of approach road and the structures thereof. 2. Superintending Engineer 3. Executive Engineer 5. Superintending Engineer Full powers in respect of all minor Irrigation project 3. Executive Engineer Full powers in respect of projects with CCA less than 500 ha Estimate of residential and non-residential superintending Engineer Full powers Superintending Engineer Full powers Full powers Full powers Full powers Full powers Full powers up to 10 cumecs capacity 3. Executive Engineer Full powers up to 1 cumecs capacity 3. Executive Engineer Full powers up to 1 cumecs capacity Superintending Engineer Full powers up to 1 cumecs capacity 3. Executive Engineer Full powers Full powers Full powers Full powers Full powers Capacity Jup to 3 cumecs capacity Superintending Engineer Jup to 4 cumecs capacity Jup to 4 cumecs capacity

and

स. क्र.	विवरण	शक्तियों के प्रयोग हेतु सक्षम प्राधिकारी	प्रत्यायोजन की सीमा	शर्ते
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
19	परियोजनाओं का सर्वे एवं अनुसंधान सहित नये कार्यो तथा डिपाजिट कार्यो के लिए प्राक्कलन पर तकनीकी स्वीकृति देने	 मुख्य अभियंता 	पूर्ण शक्तियाँ	यदि प्राक्कलन की राशि प्रशासकीय अनुमोदन की राशि से 10%
	की शक्ति	2. अधीक्षण अभियंता	रू. 2 करोड़ तक	अधिक हो तो प्राक्कलन को स्वीकृत करने के पूर्व संशोधित प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
		3. कार्यपालन अभियंता	रू. 80 लाख तक	
		4. अनुविभागीय अधिकारी	ত. 1 লাম্ভ নক	
20	भवनों, सड़कों, पुलों, जल संसाधन कार्यो तथा पी.एच.ई. कार्यो की साधारण मरम्मत के प्राक्कलनों पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान करना	कार्यपालन अभियंता	स्वयं के बजट आबंटन के अंतर्गत पूर्ण शक्तियाँ	
21	भवनों, सड़कों, जल संसाधन एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी कार्यों की विशेष मरम्मत के प्राक्कलनों की तकनीकी स्वीकृति प्रदान	1. मुख्य अभियंता	पूर्ण शक्तियाँ	छत के प्रकार में परिवर्तन जैसे एसी शीट/जी आई शीट/खपरेत छत को आर.सी.सी. में बदला जाना विशेष मरम्मत की परिधि ग
	करना।	2. अधीक्षण अभियंता	ন্ড. 20 লাজ নক	छत् यम आर.सा.सा. म बयला जामा ।यसम् मरम्मत का पासव । होगा।
		3. कार्यपालन अभियंता	रू. 1 लाख तक	
	निविदायें आमंत्रित करने/ठेकों का कार्य आदेश देने, खण्ड कार्य इत्यादि के प्रयोजनार्थ स्वीकृत प्राक्कलन को विभाजित	1. मुख्य अभियंता	स्वयं के द्वारा स्वीकृत प्राक्कलनों (तकनीकी) हेतु पूर्ण शक्तियाँ	संडकों के लिये पार्टलेंथ और या कार्य की मदों (जैसे ई/वर्क, जी एस.बी, डब्ल्यू बीएम, बी.टी. आदि) के लिये निविदा को विभाजन
(s	(split) करने की शक्ति	2. अधीक्षण अभियंता	स्वयं के द्वारा स्वीकृत प्राक्कलनों (तकनीकी) हेतु पूर्ण शक्तियाँ	(Splitting) नहीं माना जाएगा।
		3. कार्यपालन अभियंता	स्वयं के द्वारा स्वीकृत प्राक्कलनों (तकनीकी) हेतु पूर्ण शक्तियाँ	#
23	मिद्टी हटाने की भारी मशीन तथा ड्रिलिंग रिग्स सहित संयंत्रों	1. मुख्य अभियंता	पूर्ण शक्तियाँ	निर्घारित मान के अनुसार
	ामट्टा हटान का भारा मशान तथा ।ड्रालग रिग्स साहत संयत्रा। तथा मशीनरी के क्रय के प्राक्कलन को तकनीकी स्वीकृति देना	2. अधीक्षण अभियंता	फ. 80 लाख तक	
	संयंत्रों एवं मशीनरी की मरम्मत के प्राक्कलन को तकनीकी स्वीकृति देना	1. मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता	पूर्ण शक्तियाँ	विस्तृत प्राक्कलन पर आधारित। ,
		2. कार्यपालन अभियंता (वि./ यां .)	ভ. 4 লা শ্ৰ तक	*प्रत्येक संयंत्र हेतु तथा केवल अत्यावश्यकता होने पर।
		3. कार्यपालन अभियंता (सिविल)*	रू. 1 लाख तक	
	मिट्टी हटाने की भारी मशीन तथा ब्रिलिंग रिंग्स सहित विशेष संयंत्रों तथा मशीनरी की मरम्मत के प्राक्कलन को तकनीकी	1. मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता (वि. /यां.)	पूर्ण शक्तियाँ	विस्तृतं प्राक्कलनं पर आघारित।
	स्वीकृति देना	2. कार्यपालन अभियंता (वि./यां.)	क. 5 लाख तक	*प्रत्येक संयंत्र हेतु तथा केवल अत्यावश्यकता होने पर।
	l	3. कार्यपालन अभियंता (सिविल)*	₹त. 10,000 तक	4

S.No.	Description	Authority competent to exercise the powers	Extent of Delegation	Conditions
1	2	3	4	5
19	Powers to accord technical sanction to estimates for new works and deposit works including survey and investigation of projects	1. Chief Engineer	Full powers	If the amount of the estimate exceeds the amount for
		2. Superintending Engineer	Up to Rs. 2 Crore	which administrative approval is given by more than 10%; revised administrative approval must be obtained
		3. Executive Engineer	Up to Rs. 80 lakh	before the estimate is sanctioned.
		4. Sub Divisional Officer	Up to Rs. 1 lakh	
	To accord technical sanction to estimates for ordinary repairs to buildings, roads and bridges, Water Resource and Public Health Engineering works.	1.08	Full powers within their budget allotment.	
21	To accord technical sanction to estimates for	1. Chief Engineer	Full powers	Change of type of roof viz from AC sheet/GI sheet/Tiled
	special repairs to buildings and roads, Water Resource and Public Health Engineering	2. Superintending Engineer	Up to Rs. 20 lakh	Roof to RCC Roof shall be within the scope of special repairs.
	works.	3. Executive Engineer	Up to Rs. 1 lakh	•
1	Powers to split up sanctioned estimates for purpose of calling tenders/awards of contracts to issue work orders, piece work etc.		(technical) sanctioned by	For Roads- Tender for part length and or for items of work(viz E/work, GSB, WBM, BT etc.) shall not be treated as "Splitting"
	,	2. Superintending Engineer	Full powers for estimates (technical) sanctioned by Them.	
		3. Executive Engineer	Full powers for estimates (technical) sanctioned by Them.	
	To accord technical sanction to the estimates for purchase of plant & machinery including	1. Chief Engineer	Full powers	As per prescribed Scale
	heavy earth moving machinery and drilling rigs.	2. Superintending Engineer	Up to Rs. 80 lakh	
	To accord technical sanction to the estimate for repairs to plants and machinery	Chief Engineer/ Superintending Engineer	Full powers	Based on detailed sanctioned estimate.
		2. Executive Engineer(E/M)	Up to Rs. 4 lakh	* for each Plant and on urgency only.
		3. Executive Engineer(Civil)*	Up to Rs. 1 lakh	
25	To accord technical sanction to the estimate	1. CE/SE (E/M)	Full powers	Based on detailed sanctioned estimate.
	for repairs to special plants and machinery including heavy earth moving machinery and	2. Executive Engineer (E/M)	Up to Rs. 5 lakh	for each Plant and on urgency only.
ľ	drilling rigs.	3. Executive Engineer (Civil)*	Up to Rs.10,000	

स. क्र.	विवरण	शक्तियों के प्रयोग हेतु सक्षम प्राधिकारी	प्रत्यायोजन की सीमा	शर्ते ,
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
26	उस मामले में जहाँ प्रोफार्मा संचय (Proforma reserve) उपलब्ध नहीं है, मिद्दी हटाने की भारी मशीनरी तथा ड्रिलिंग रिग्स सहित विशेष संयंत्रों तथा मशीनरी की मरम्मत के प्राक्कलन को तकनीकी स्वीकृति देना	∕ यां.)	पूर्ण शक्तियाँ	
	गणितीय उपकरणों सहित (सामान्य) औजार एवं संयंत्र के क्रय	 मुख्य अभियंता 	पूर्ण शक्तियाँ	इस शर्त पर कि उपकरण अथवा संयंत्र सेवा के नये साधन की
		2. अधीक्षण अभियंता	क्त. 25 लोख तक एक वर्ष में	परिधि में नहीं आता हो।
		3. कार्यपालन अभियंता	रू. 5 लाख तक एक वर्ष में	
	गणितीय उपकरणों सहित (सामान्य) औजार एवं संयंत्र के मरम्मत हेतु प्राक्कलन की स्वीकृति	1. अधीक्षण अभियंता	पूर्ण शक्तियाँ	
	ार विद्यु आवकरात का रवाष्ट्रात	2. कार्यपालन अभियंता	रू. 1 लाख तक एक वर्ष में	
		3. अनुविभागीय अधिकारी	रू. 10,000 तक एक वर्ष में	
29	जल प्रदाय तथा सफाई योजनाओं के उपयोग में आने वाले (सामान्य) औजार एवं संयंत्रों के प्राक्कलनों की स्वीकृति		पूर्ण शक्तियाँ	
		2. कार्यपालन अभियंता	रू. 10 लाख तक एक वर्ष में	
		3. अनुविभागीय अधिकारी	रू. 50,000 तक एक वर्ष में	
30	बंगलों / कुटियों में फर्नीचर, क्रांकरी, उपकरणों तथा साधनों के	1. अधीक्षण अभियंता	पूर्ण शक्तियाँ	 निधि की उपलब्धता का ध्यान रखा जायें। शासन द्वारा समय—समय पर अनुमोदित मान के अनुसार
	क्रय के प्राक्कलन को स्वीकृति देना	2. कार्यपालन अभियंता	रु. 5 लाख तक वार्षिक	989
31	स्वीकृति, चाहे कार्य नवीन कार्य की प्रकृति का हो अथया	1. प्रमुख अभियंता	पूर्ण शक्तियाँ	
	परिवर्तन या परिवर्धन के स्वरूप का हो।	2. मुख्य अभियंता(वि/यां)	रू. 50 लाख तक	
32	लघु शीर्ष "सिविल कार्य" के अंतर्गत मंडार की हानियों के	1. अधीक्षण अभियंता	ক. 50,000 বক	
	प्राक्कलनों को स्वीकृति देना	2. कार्यपालन अभियंता	रू. 10,000 तक	1
33	प्राक्कलनों से आधिक्य:-जहाँ आवश्यक हो संशोधित प्रशासकीय अनुमोदन लेने के बाद प्राक्कलनों से आधिक्य को		संशोधित राशि की तकनीकी स्वीकृति हेतु स्वयं की वित्तीय	
	पारित करना	2. मुख्य अभियंता	शक्तियों की सीमा के अन्दर पूर्ण शक्तियाँ	
		3. अधीक्षण अभियंता	राष्ट्राय	
	h	4. कार्यपालन अभियंता		
	d			

S.No.	Description	Authority competent to exercise the powers	Extent of Delegation	Conditions
1	2	3	4	5
26	To accord technical sanction to the estimate for repairs to special plants and machinery including heavy earth moving machinery and drilling rigs in case proforma reserve is not available.	Engineer(E/M)	Full powers	
27	To sanction estimates for purchase (ordinary) tools and plant including mathematical	1. Chief Engineer	Full powers	Provided the instrument or plant does not fall under the subject of new instrument of services.
	instruments.	2. Superintending Engineer	Up to Rs. 25 lakh in a year	Subject of new instrument of services.
		3. Executive Engineer	Up to Rs. 5 lakh in a year	
28	To sanction estimates for repairs to (ordinary)	Superintending Engineer	Full powers	
	tools and plants including mathematical instruments.	2. Executive Engineer	Up to Rs. 1 lakh in a year	
		3. Sub Divisional Officer	Up to Rs. 10,000 in a year	
29	To sanction estimates (ordinary) tools and	Superintending Engineer	Full powers	
	plants used for water supply and sanitation schemes.	2. Executive Engineer	Up to Rs. 10 lakh in a year	
		3. Sub Divisional Officer	Up to Rs. 50,000 in a year	
30	To sanction the estimates of purchases of items of furniture, crockery, equipment and		Full powers	The funds available for item should be kept in view. As per the scale approved by the Government from time to time
	appliances in existing V.I.P. Guest Houses, Circuit Houses, Rest Houses, Inspection Bungalows/Huts, conference hall, meeting hall.	2. Executive Engineer		
	Sanction original electrical installation whether		Full powers	
	they are in the nature of new works or addition and alteration to Government buildings (non- residential)	2. Chief Engineer (E/M.)	Up to Rs. 50 lakh	
32	To sanction estimates for losses on stock	Superintending Engineer	Up to Rs. 50,000	
	Under the minor head "Civil Works".	2. Executive Engineer	Up to Rs. 10,000	
33	Excess over Estimates:- To	Administrative Department	Full powers within the limit of	
	pass excess over estimates, after obtaining the revised administrative approval where	2. Chief Engineer	their Financial Power of Technical Sanction of the	
		3. Superintending Engineer	revised amount	
		4. Executive Engineer		¥.

स. क्र.	विवरण	शक्तियों के प्रयोग हेतु सक्षम प्राधिकारी	प्रत्यायोजन की सीमा	शर्ते ,
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
34	कार्यों के लिए निविदायें स्वीकार करना— (क) एकमुश्त (Lump sum) निविदायें तथा क्रय (जो भंडार क्रय निवमों के अंतर्गत न हो) को छोड़कर	1. शासन स्तरीय समिति 2. प्रमुख अभियंता	पूर्ण शक्तियाँ रू. 10 करोड़ तक	
		3. मुख्य अभियंता	रू. 5 करोड़ तक	
	·	4. अधीक्षण अभियंता	रू. 2 करोड़ तक	बशर्ते कि निविदा का मूल्य प्रभावशील दर अनुसूची (Curren schedule of Rates) से 15 प्रतिशत से अधिक न हो। इसर अधिक दरों के लिए सक्षम उच्च प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदर आवश्यक होगा।
	·	5. कार्यपालन अभियंता	रू. 1 करोड़ तक	बशर्ते कि निविदा प्रभावशील दर अनुसूची (Current Schedul of Rates) से 10 प्रतिशत से अधिक न हो।
	(ख) एकमुश्त (Lump sum) निविदा	1. शासन स्तरीय समिति	पूर्ण शक्तियाँ	
		 प्रमुख अभियंता स्तरीय समिति 	रू. 5 करोड़ तक	प्रमुख अभियंता स्तरीय समिति में होंगे— 1. प्रमुख अभियंता — अध्यक्ष 2. प्रमुख अभियंता कार्यालय में पदस्थ मुख्य अभियंता 3. प्रमुख अभियंता कार्यालय में पदस्थ अधीक्षण अभियंता 4. प्रमुख अभियंता कार्यालय में पदस्थ अतिरिक्त संचालक / संयुक्त संचालक (छ.ग. राज्य वित्त सेवा)
		3. मुख्य अभियंता स्तरीय समिति	रू. 2 करोड़ तक	मुख्य अभियंता स्तरीय समिति में होंगे— 1. मुख्य अभियंता — अध्यक्ष 2. दो अधीक्षण अभियंता (मुख्य अभियंता द्वारा नामांकित) 3. मुख्य अभियंता कार्यालय के वित्त/लेखा अधिकारी तथा पर रिक्त होने की स्थिति में प्रमुख अभियंता कार्यालय में पदस्थ अतिरिक्त/संयुक्त संचालक (वित्त)
	^	4. अधीक्षण अभियंता स्तरीय समिति	रू. 1 करोड़ तक	अधीक्षण अभियंता स्तरीय समिति में होंगे— 1. अधीक्षण अभियंता— अध्यक्ष 2. मुख्य अभियंता द्वारा नामांकित अन्य मण्डल का अधीक्षण अभियंत 3. कार्य से संबंधित संमाग के कार्यपालन अभियंता 4. कार्य से संबंधित संमाग के संभागीय लेखापाल)

S.No.	Description	Authority competent to exercise the powers	Extent of Delegation	Conditions
1	2	3	4	5
34	To accept tenders for works-			
	(a) Except for lumpsum tenders and purchases (not covered under store purchase rules)		Full powers	
	(not covered under store purchase rules)	2. Engineer-in-Chief	Up to Rs. 10 crore	
		3. Chief Engineer	Up to Rs. 5 crore	
		4. Superintending Engineer	Up to Rs. 2 crore	Provided that the cost of tender is not more than 15% above current schedule of rates. For rates higher than this prior approval of the competent higher authority shall be required.
		5. Executive Engineer	Up to Rs. 1 crore	Provided that the cost of tender is not more than 10% above current schedule of rates.
	.,	1. Govt. level Committee	Full powers	
		Engineer-in-Chief level committee .	Up to Rs. 5 crore	E-in-C level committee shall consist of 1. Engineer-in-chief - Chairman 2. Chief Engineer Posted in Engineer-in-chief office 3. Superintending Engineer-Posted in Engineer-in-chief office 4. Addl. director/Joint director (C.G. State Finance Service) posted in E-in-C office
		3. Chief Engineer level committee		CE level committee shall consist of 1. Chief Engineer-chairman 2. Two Superintending Engineers (Nominated by C.E.) 3. Finance/Account Officer posted in C.E. Office, in case the post is vacant additional Director/ Joint Director (Finance) posted in E-in-C Office
		Superintending Engineer level committee		SE level committee shall consist of 1. Superintending Engineer - Chairman 2. Superintending Engineers of other circle Nominated by C.E. 3. Executive Engineer related to the work of concerned Division 4. Divisional Accountant of the concerned work Division
L	() b			·

(gle

स. क्र.	विवरण	शक्तियों के प्रयोग हेतु सक्षम प्राधिकारी	प्रत्यायोजन की सीमा	शर्ते
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(ग) फार्म सी पर सामग्री आपूर्ति के लिए निविदा स्वीकार करने की शक्ति	1. शासन स्तरीय समिति	पूर्ण शक्तियाँ	
		2. प्रमुख अभियंता	रू. 5 करोड़ तक	
		3. मुख्य अभियंता	रू. 4 करोड़ तक	
		4. अधीक्षण अभियंता*	₩. 2 करोड़ तक	*बशर्ते कि निविदा का मूल्य प्रभावशील दर अनुसूची (Current schedule of Rates) से 15 प्रतिशत से अधिक न हो। इससे अधिक दरों के लिए मुख्य अभियंता का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा।
		5. कार्यपालन अभियंता#	रू. 50 लाख तक	#बशर्ते कि निविदा का मूल्य प्रमावशील दर अनुसूची (Current schedule of Rates) से 10 प्रतिशत से अधिक न हो। इससे अधिक दरों के लिए अधीक्षण अभियंता का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा।
35	विभागीय तौर पर लिए गए कार्यों हेतु "खण्ड कार्य" के लिए करार करने की शक्ति।	1. प्रमुख अभियंता	रू. 20 लाख तक	1. इस व्यवस्था के अधीन रू. 10,000 तक के कार्यो का निष्पाद
	करार करन का शावत।	2. मुख्य अभियंता	रू. ८ लाख तक	अपंजीकृत ठेकेदारों से कराया जा सकता है। 2. खण्ड कार्य (pieće work) को स्वीकार करने वाला प्राधिव वह होगा जो संपूर्ण काम की प्रशासकीय स्वीकृत देने के लिए स होगा। अन्य विभागीय कार्यों के मामले में खण्ड कार्य की स्वीवृ देने की शक्ति राज्य शासन को होगी।
- 1		3. अधीक्षण अभियंता	रू 2.5 लाख तक	
		4. कार्यपालन अभियंता*	জ. 50,000 तक	
				*3. विमागीय दर अनुसूची से अधिक दर के लिए खण्ड का आदेश स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अपेक्षित होगी।
	रेल्वे प्राधिकारियों तथा अन्य शासकीय विगागों, भारत सरकार व राज्य सरकार के उपक्रमों, अर्द्धशासकीय संस्थाओं, स्थानीय निकायों को अग्रिम भुगतान की स्वीकृति यदि कार्य विमागों के कार्यों के संबंघ में इन विभागों के नियमों में ऐसा अपेक्षित हो।	अधीक्षण अभियंता	पूर्ण शक्तियाँ	
37	आपूर्ति की वास्तविक प्राप्ति पर आपूर्तिकर्ता को वस्तु के मूल्य 90 प्रतिशत तक (लागू करों सहित) का अग्रिम भुगतान		पूर्ण शक्तियाँ	
٦		2. अघीक्षण अभियंता	रु. 10 लाख तक	1
		3. कार्यपालन अभियंता	रु. 2 लाख तक	1 .
	(9)			

S.No.	` Description	Authority competent to exercise the powers	Extent of Delegation	Conditions
1	2	3	4	5
	(c) Power to accept tender for material supply on form "C"	Govt. level Committee	Full powers	
		2. Engineer-in-Chief	Up to Rs. 5 crore	
		3. Chief Engineer	Up to Rs. 4 crore	1
		4. Superintending Engineer*	Up to Rs. 2 crore	*Provided that the cost of tender is not more than 15' above current schedule of rates. For rates higher that this shall require prior approval of the CE.
		5. Executive Engineer #	Up to Rs. 50 lakh	# Provided that the cost of tender is not more than 109 above current schedule of rates. For rates higher that this shall require prior approval of the SE.
.35	agreement for the works taken up departmentally.	1. Engineer in Chief	Rs. 20 lakh	Un-registered contractors may be allowed to exect works up to Rs. 10,000 under this system. Authority to sanction piece work shall be the author competent to accord Administrative Sanction of the whole work. In case other departmental work Government has the power to accord sanction of piework order. Any rate above SOR shall require prior approval authority sanctioning piece work order.
		2. Chief Engineer	Rs. 8 lakh	
		3. Superintending Engineer	Up to Rs. 2.5 lakh	
		4. Executive Engineer*	Up to Rs. 50,000	
36	To sanction advance payment to the Railway authorities and other Government department and Government of India/ State Government undertakings/ Semi Government Organization/ Local Bodies. if so required by the rules of those department in connection with works of Works Department.	•	Full powers.	
37	To make advance payments to suppliers up to 90% of value of materials including applicable		Full powers	
	taxes on actual reciept of supply.	2. Superintending Engineer	Up to Rs. 10 lakh	1
		3. Executive Engineer	Up to Rs. 2 lakh	1

ghe

स. क्र.	विवरण	शक्तियों के प्रयोग हेतु सक्षम प्राधिकारी	प्रत्यायोजन की सीमा	शर्ते '
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
38	सामग्रियों की प्रतिभूति पर ठेकेदार को अग्रिम का भुगतान	कार्यपालन अभियंता	तक पूर्ण शक्ति, स्टील के लिए उसके मूल्य का 90 प्रतिशत तक	 इस शर्त पर कि ठेका पूर्ण निर्माण कार्य के लिए हो तथा सामग्री परियोजना पर आगामी 6 माह के अन्दर उपयोग में ले लिया जाएगा। अग्रिम केवल उसी सामग्री के लिए स्वीकार किया जाना चाहिए जिसे निर्माण स्थल पर पहुंचा दिया गया हो तथा उसका मूल्य ठेके के अनुसार पूर्ण निर्माण कार्य के लिए भुगतान योग्य दर से अधिक नहीं हो। अग्रिम नाशवान वस्तुओं तथा रेत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
39	चिलत देयकों (Runing bills) का भुगतान	1. कार्यपालन अमियंता		i. कार्यपालन अभियंता किसी भी समय परीक्षण हेतु किसी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई भी चलित या अंतिम देयक के भुगतान से संबंधित माप पुस्तक मंगा सकता है। ii. प्रत्येक देयक का स्वयं भुगतान करने अधवा कार्यपालन अभियंता को भुगतान हेतु अग्नेषित करने से पूर्व अनुविभागीय अधिकारी मापों का पूर्ण परीक्षण करेंगे। iii. प्रत्येक देयक का भुगतान करने के पहले कार्यपालन अभियंता को कम से कम 10 प्रतिशत मापों का परीक्षण अवश्य करना चाहिए।
		2. सहायक अभियंता	प्रत्येक चौथे देयक को छोड़कर 1 लाख रूपये तक। प्रत्येक चौथे देयक का भुगतान कार्यपालन अभियंता के पूर्व ऑडिट के बाद किया जायेगा।	
40	अन्तिम देयकों का भुगतान	कार्यपालन अभियंता	पूर्ण शक्तियाँ	
41	(1)स्थायी कार्यों, ढॉचों, भवनों एवं पुलों के ध्वस्तीकरण (dismantling) के स्वप्रांत पाल सामग्री		पूर्ण शक्तियाँ	
	(2)स्थिर भवन पुलों कार्यों, ढाँचों का विघटन तथा उससे निकले मलबे को हटाना		रु. 5 लाख तक	
42	42 कार्य विमाग मैन्यूअल के संबंधित परिशिष्ट में सूचीबद्ध	1. मुख्य अभियंता	रु. २ करोड़ तक	इन भण्डारों के अपलेखन के आदेश जारी करने की शक्ति
	अप्रयोज्य एवं अप्रचलित भंडारो की बिक्री/नीलामी हेतु निविदायें स्वीकार करना	2. अधीक्षण अभियंता	रु. 75 लाख तक	कंडेमनेशन बोर्ड या ज्ञासन द्वारा गठित किसी अन्य समिति के पास होगी
		3. कार्यपालन अभियंता	रु. 40 लाख तक	
	(g)	-		

	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Authorite commissions to	Futant of Delegation	Conditions
S.No.	Description	Authority competent to	Extent of Delegation	Conditions
		exercise the powers		
1_	2	3	4	5
38	To grant advance to contractor on the security of materials.	Executive Engineer		 Provided contract is for finished works and material is to be used for the project within the next six months. Advance must be granted only in respect of materials that have been brought to site, its value does not exceed more than the rate payable for its finished item under the contract. No advance can be granted on perishable items and sand.
39	Payment of running bills.	1. Executive Engineer		(i) The Executive Engineer may at any time call in for scrutiny of the measurement book relating to any bill, running or final paid by Sub-Divisional Officer.
		2. Assistant Engineer	fourth bill, which will be paid after pre-audit by the Executive Engineer	(ii) The Sub Divisional Officer shall check fully the measurements before making payment by himself or forwarding the Bill for payment to Executive Engineer. (iii) Before payment of every bill the Executive Engineer must check at least 10% of measurements.
40	Payment of Final Bills	Executive Engineer	Full powers	
	To accept the highest bids received in auction of - i) Materials obtained after dismantling of		Full powers	
	permanent works, structures, buildings and bridges. ii) Dismantling of standing work/ structures/ buildings / bridges and removal of dismantled material from site		Up to Rs. 5 lakh	
	To accept the tenders for sale/ auction of unserviceable and obsolete stores listed in relevant Appendix of Works Departments			Powers to sanction write-off of these stores shall vest with Condemnation Board or any other committee constituted by the Government.
	Manual.	2. Superintending Engineer	Up to Rs. 75 lakh	
	\cap	3. Executive Engineer	Up to Rs. 40 lakh	
	ghi			•12

स. क्र.	विवरण	शक्तियों के प्रयोग हेतु सक्षम प्राधिकारी	प्रत्यायोजन की सीमा	शर्ते •
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
43	किसी विशिष्ट मशीन की मरम्मत के स्वीकृत प्राक्कलन के	1. मुख्य अभियंता	रु. 5 लाख तक	क्रय संमागीय स्तर/मंडल स्तर/प्रमुख अभियंता स्तर/मुख्य
	विरुद्ध सीमित निविदाओं पर अतिरिक्त कलपुर्जी (spare parts) का क्रय		रु. 2 लाख तक	अभियंता स्तर पर गठित क्रय समिति के अनुशंसा तथा भण्डार क्रय नियमों के अनुसार किया जाएगा।
		3. कार्यपालन अभियंता	रु. 1 लाख तक	
44	किसी विशिष्ट मशीन के लिये मरम्मत के स्वीकृत प्राक्कलनों		पूर्ण शक्तियां	क्रय संमागीय स्तर/मंडल स्तर/प्रमुख अभियंता स्तर/मुख्य
	कें विरुद्ध खुली निविदाओं पर अतिरिक्त कल-पुर्जों का क्रय	2. मुख्य अभियंता	रु. 50 लाख तक	अभियंता स्तर पर गठित क्रय समिति के अनुशंसा तथा भण्डार क्रय नियमों के अनुसार किया जाएगा।
		3. अधीक्षण अभियंता	रु. 25 लाख तक	174 11 4 513 111 111 111 111 111
		4. कार्यपालन अभियंता	रु. 5 लाख तक	
45	मूल निर्माता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम एकल	1. मुख्य अभियंता	पूर्ण शक्तियाँ	
	निविदा पर मशीनरी के किसी विशिष्ट पुर्जे की मरम्मत या संयोजना (assemble) कराना ।	2. अधीक्षण अभियंता	रु. 5 लाख तक	
	tidioni (assemble) delli i	3. कार्यपालन अभियंता	रु. 1 लाख तक	
46	वाहनों को छोड़कर, संयंत्र तथा विशिष्ट मशीनरी उपकरणों का	1. मुख्य अभियंता	रु. 5 लाख तक	अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालन अभियंता तुरंत आवश्यकता की
	जिसकी तुरन्त आवश्यकता है, एकल या सीमित निविदा पर मान्यता प्राप्त निर्माता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि से क्रय।	2. अधीक्षण अभियंता	रु. 2 लाख तक	प्रकृति का प्रतिवेदन उच्च प्राधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। शक्ति प्रयोग इस शर्त के अधीन होगा कि इस प्रकार क्रय किये ग
		3. कार्यपालन अभियंता	रु. 1 लाख तक एक माह में रु. 25,000 रू. की सीमा तक	का कार्य पर तत्काल उपयोग किया गया हो
0.00	तुरंत आवश्यकता होने पर मान्यता प्राप्त अथवा अधिकृत डीलर्स से एकल या सीमित निविदा पर भारी संयंत्र तथा विशिष्ट		पूर्ण शक्तियां	
230	मशीनरी (वाहनों को छोड़कर) के लिये पीओएल (POL) का	2. अधीक्षण अभियंता	रु. 5 लाख तक	
	क्रय	3. कार्यपालन अभियंता	रु. 2 लाख तक	
48	विशिष्ट समयाविध के लिए अस्थाई रूप से थिशेष सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति करने की स्वीकृति देना।	मुख्य अभियंता	पूर्ण शक्तियाँ	
	विशिष्ट समयाविध के लिए अस्थाई रूप से शासकीय आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों से बिना अधिपत्य के आवासों के बगीचों को देखगाल के लिए कुली/माली की नियुक्ति करने की स्वीकृति।		पूर्ण शक्तियाँ	
50	तकनीकी सलाहकार को नियुक्त करने तथा परामर्श शुल्क के भगतान करने की स्वीकृति।	प्रशासनिक विभाग	पूर्ण शक्तियाँ	निधि की उपलब्धता के अधीन। समय—समय पर शासन द्वारा
	भुगतान करने की स्वीकृति।	प्रमुख अभियंता	श्वासन को सूचना के अधीन रू. 5 लाख तक	निर्घारित दरों तथा मान के अनुसार।
	· ·			

S.No.	Description	Authority competent to exercise the powers	Extent of Delegation	Conditions
1	2	3	4	5
43	To purchase spare parts for a particular machine against the sanctioned repair estimate	1. Chief Engineer		The purchases shall be recommended by the Purchases Committee constituted at Division level/Circle level/Chief
		2. Superintending Engineer	Up to Rs. 2 lakh	Engineer level/E-in-C and as per store purchase rules.
		3. Executive Engineer	Up to Rs. 1 lakh	
44	To purchase spare parts for a particular	Engineer in Chief	Full powers	The purchases shall be decided by the Purchases
	machine against the sanctioned repair estimate on open tenders.	2. Chief Engineer	Up to Rs. 50 lakh	Committee constituted at Division level/Circle level/Chief Engineer level and as per store purchase rules.
	on open tanders.	3. Superintending Engineer	Up to Rs. 25 lakh	
		4. Executive Engineer	Up to Rs. 5 lakh	
45	To carry out repairs or assemble specific parts	1. Chief Engineer	Full powers	
	of machinery through original manufacturer or their authorized agents on single tender.	2. Superintending Engineer	Up to Rs. 5 lakh	
	Their authorized agents on single tender.	3. Executive Engineer	Up to Rs. 1 lakh	
46	Purchase of plant and special machinery equipment, urgently required on single or limited tender excluding vehicles, from	1. Chief Engineer	Up to Rs. 5 lakh	The Superintending Engineer and Executive Engine
		2. Superintending Engineer	Up to Rs. 2 lakh	shall forthwith report to higher authority explaining the nature of urgency. The powers are exerciseable subject
	recognised manufacturer or his authorized dealers.		Up to Rs. 1 lakh but limited to Rs. 25,000 in a month	to the condition that the parts so purchased immediately used on works.
47	To Purchase P.O.L. for heavy plant and special		Full powers	
	machinery (excluding vehicles) urgently required on single or limited tender from	2. Superintending Engineer	Up to Rs. 5 lakh	
	recognized or authorized dealers.	3. Executive Engineer	Up to Rs. 2 lakh	
48	To sanction the engagement of special guards, temporarily for specific time period.	Chief Engineer	Full powers	
49	To sanction the engagement of a	Superintending Engineer	Full powers	
	coolie/gardener to look after the residential and			
	non residential Government buildings, garden			
•	of residences (unoccupied) temporarily for			
	specific time period.			
50	To engage and sanction payment of	Administrative Department	Full powers	Subject to the availability of funds. As per rates an norms fixed by the Government from time to time.
	consultancy fees to technical consultants.	2. Engineer-in-chief	Up to Rs. 5 lakh under intimation to Govt	norms fixed by the Government from unle to time.

advit

स. क्र.	विवरण	शक्तियों के प्रयोग हेतु सक्षम प्राधिकारी	प्रत्यायोजन की सीमा	शर्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	अप्रयोज्य मंडार उदाहरणार्थ— भंडार, गणितिय उपकरणों सिंहत, औजार एवं संयत्र, गणितिय उपकरणों, उच्च विश्रांति तथा विश्राम गृष्ठों, निरीक्षण बंगलों तथा कुंटियों के फर्नीचर, क्राकरी इत्यादि, स्थल पर रखी हुई सामग्री तथा कार्यों के विघटन या मरम्मत से प्राप्त सामग्री के निपटान हेतु आदेश जारी करना एवं उनके अपलेखन की स्वीकृति	2. कार्यपालन अभियंता	पूर्ण शक्तियाँ रु 2.5 लाख तक	कार्यपालन अभियंता को अकाल रक्षित प्राकृतिक आपदा से संबंधित औजार एवं औजार के अप्रयोज्य वस्तुओं के अपलेखन करने की स्वीकृति देने की शक्ति नहीं है।
52	सरल क्रं. 51 के कॉलम 2 में उल्लेखित मर्दों के लिए आवश्यकता से अधिक भण्डार के निपटान तथा उनके अपलेखन की स्वीकृति के आदेश जारी करना	 अधीक्षण अभियंता कार्यपालन अभियंता 	पुस्तकीय मुल्य (या जहाँ पुस्तकीय	
53		 मुख्य अभियंता अधीक्षण अभियंता कार्यपालन अभियंता 	रू. 1 लाख तक रू. 50,000 तक रू. 25,000 तक	 बशर्त कि वसूली न होने का पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध हो। ये सीमाऍ वस्तु के पुस्तकीय मूल्य पर लागू होगी।
54	विशेष कार्य में उपयोग होने वाले उपयोगी औजार एवं प्लाट्स (जैसे कम्प्रेसर मत्त्रीन) जिसका पूर्ण मूल्य वसूल हो चुका है (जो कि विशिष्ट परियोजना के लिये क्रय किये गये थें तथा उनका इसमें या अन्य परियोजना/कार्य में उपयोग अपेक्षित नहीं हैं) के अपलेखन की शक्ति			 बशर्त कि पूर्ण पुस्तकीय मूल्य अथवा जहां पुस्तक मूल्य नही है अनुमानित मूल्य वसूल हो गया है। पर्यवेक्षण प्रमार 10 प्रतिशत की दर से अवश्य वूसल किया जावे, यदि उसे कार्य विमाग नियमावली के प्रावधानों के अधीन माफ नहीं कर दिया जाता है।
55	विश्राम भयनों, विश्राम गृहों, निरीक्षण बंगलो तथा कुटियों का अधिवास (occupation) शुल्क जो वूसली के अयोग्य है, के अपलेखन की शक्ति		रु. 10,000 तक	

Ş.No.	Description	Authority competent to	Extent of Delegation	Conditions
		exercise the powers		
1	2	3	4	5
2.00	unconicoable eterac viz eteck tools and plants	Superintending Engineer	Fuil powers	Executive Engineer has no power to sanction the write- off of unserviceable articles of famine reserve/natural
	including mathematical instruments, furniture, crockery etc. of circuit and rest house, inspection bungalows and huts, material at site and materials received from works dismanteld or undergoing repairs and sanction their write-		Up to Rs. 2.5 lakh	calamity related tools and plants.
	off.			
990,000	To issue orders for the disposal of surplus stores and to sanction their write off, on item described in column No. 2 of Sr. No.51 above	1. Superintending Engineer	incurred on the book value (or	In case of materials borne on the stock account supervision charges at 10% must be recovered except when they are waived under relevant para of Works Department Manual.
		2. Executive Engineer	Up to Rs. 25,000 provided full book value or when there is no book value the estimated value is received up to Rs. 2,500 when less than the full value is recovered.	
53	Powers to write-off irrecoverable value of	1. Chief Engineer	Up to Rs. 1 lakh	(i) Provided adequate proof of irrecoverability is
	stores.	2. Superintending Engineer	Up to Rs. 50,000	available. (ii) These limits apply to the book value of articles.
		3. Executive Engineer	Up to Rs. 25,000	(ii) These mine apply to the book value of artises.
	Powers to write-off special serviceable tools and plants (eg. Compressor machines) the full cost of which has been recovered. (which has been specifically purchased for the specific Project and not required in the same or other Project/Work)			Provided full book value or when there is no book value estimated value is recovered. Supervision charges at the rate of 10% must be recovered except when they can be waived under the provisions of Works Department Manual.
	Powers to write-off irrecoverable amounts of occupation fees of circuit houses, rest houses, inspection bungalows and huts.	Superintending Engineer	Up to Rs. 10,000.	1
(ghul			

स. क्र.	विवरण	शक्तियों के प्रयोग हेतु सक्षम प्राधिकारी	प्रत्यायोजन की सीमा	शर्ते
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	शासकीय भवनों का देय किराया जो वसूली के अयोग्य है के अपलेखन की श्रक्ति		च. 5000 त्तक	
	भाप पुस्तिकाओं के अपलेखन की शक्ति	अधीक्षण अभियंता	पूर्ण शक्तियाँ	
58	मस्टररोल के रिक्त फार्म्स जो कि खो गए हैं या फट गए हैं अथवा किसी कारण से अनुपयोगी हो गए हैं, मस्टररोल जिन पर उपस्थित दर्ज थी लेकिन भुगतान नहीं हुआ, के अपलेखन की स्वीकृति		पूर्ण शक्तियाँ	कार्य विभाग नियमावली पैरा 4.014 के अनुसार
59	ठेकेदारों एवं अ न्य शासकीय यिभागों, अर्द्ध शासकीय संस्थाओं /स्थानीय निकायों को संयंत्र / मशीनरी कि राये पर देना।	कार्यपालन अभियंता	पूर्ण शक्तियाँ	1. जल संसाधन विभाग के मामले में। 2. लोक निर्माण एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के मामले इस शर्त पर कि करार निष्पादित किया गया है तथा बाँड पर हस्ताक्षर किये हैं। 3. मरम्मत का समस्त मूल्य किराये पर लेने वाले को वहन करना होगा। अमला विभाग का होगा, जिसका वेतन भी किराये पर लेने वाले को वहन करना होगा।
60	ऐसे प्रकरणों में गैर आवासीय भवनों (विश्राम गृष्ठों सहित) का किराया निर्घारित करना, जहाँ नियमों के अनुसार गणना कर किराया निर्घारित नहीं किया गया है।	प्रशासकीय विभाग	पूर्ण शक्तियाँ	
	निजी व्यक्तियों तथा शासकीय सेवकों द्वारा अधिवासित लोक भवनों के किराये का निर्धारण	अधीक्षण अभियंता	पूर्ण शक्तियाँ	जिले के कलेक्टर से पूर्व परामर्श पर
	गैर आवासीय भवनों / बाह्य सेवाओं में छोटे-मोटे परिवर्धन एवं परिवर्तन कार्य पर व्यय का वर्गीकरण 'छोटे निर्माण कार्य पर व्यय' के रूप में करना तथा उन्हे ''मरम्मत'' मद में विकलित करना		ন্ধ. 2 নাজ নক ন্ধ. 1 নাজ নক	
	आवासीय भवनों में छोटे—मोटे परिवर्धन एवं परिवर्तन पर व्यय का वर्गीकरण छोटे निर्माण कार्य पर व्यय' के रूप में करना तथा उन्हें "मरम्मत" मद में विकलित करना	अधीक्षण अभियंता	किसी एक वर्ष में किसी एक भवन के लिए रू. 1 लाख तक	इस शर्त पर कि वार्षिक मरम्मत में निधि उपलब्ध हो।
	- a			L

S.No.	Description	Authority competent to exercise the powers	Extent of Delegation	Conditions
1	2	3	4	5
56	Powers to write-off irrecoverable sum due on account of rents of Government buildings.	Chief Engineer	Up to Rs. 5,000.	
57	Powers to write-off measurement books.	Superintending Engineer	Full powers.	,
58	To sanction write-off of blank forms of muster rolls which may be missing or torn or became useless for any reason also muster rolls on which the attendance was entered but no payment was made.		Full powers.	As per works department's mannual, para 4.014.
59	To give plant/machinery on hire to contractors, other Government departments, Semi-Government organisations/ Local Bodies.	Executive Engineer	Full powers	In case of Water Resources Deptt. In case of Public Works Deptt. & Public Health Engineering Deptt. Subject to the condition of executing agreement and singing bond. All cost of repairs shall be borne by the hirer. Staff shall be of the department, whose salary has to borne by the hirer.
	To fix the rent of non-residential buildings (including rest houses) in those cases where the full assessed rent as calculated under the rules has not been fixed.	Administrative Department	Full powers	
61	To fix the rent of public buildings, occupied by private persons and Government officials.	Superintending Engineer	Full powers	With prior consultation with the Collector of the District.
	To classify expenditure on minor additions and alterations to non-residential buildings /external	1. Superintending Engineer	Up to Rs. 2 lakh	
	service as petty works expenditure and to debit it to "repairs".	2. Executive Engineer	Up to Rs.1 lakh	
	To classify expenditure on minor additions and alterations to residential building service as petty works, expenditure and debit it to repairs.	Superintending Engineer		Provided that Funds are availbale from the annual repairs.
/	and			

:

स. क्र.	विवरण	शक्तियों के प्रयोग हेतु सक्षम प्राधिकारी	प्रत्यायोजन की सीमा	शर्त 🔥
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	सड़क कार्यों से संबंधित छोटे तथा विविध मदों के कार्य के मूल्य को 'मरम्मत' शीर्ष में विकलित करना	1. प्रमुख अभियंता	किसी एक प्रकरण में रू.10 लाख तक	
		2. मुख्य अभियंता	किसी एक प्रकरण में रू. 5 लाख तक	
		3. अधीक्षण अभियंता	किसी एक प्रकरण में फ. 2.5 लाख तक	
		4. कार्यपालन अभियंता	किसी एक प्रकरण में रू. 1 लाख तक	
65	भंडार में अवमूल्यन के कारण हानि के प्राक्कलन को स्वीकृति	1. मुख्य अभियंता	पूर्ण शक्तियाँ	
		2. अधीक्षण अभियंता	रू. 1 लाख तक	
		3. कार्यपालन अभियंता	रू. 25,000 तक	
66	कार्य के किसी एक मद के लिए एकमुश्त (Lump sum)		पूर्ण शक्तियाँ	1. मापन के लिये संवेदनशील किसी भी आयटम के लिये एकमुश्त
	भुगतान की स्वीकृति	2. अधीक्षण अभियंता	रू. 20,000 तक	भुगतान नहीं किया जाएगा, भले ही स्वीकृत प्राक्कलन में प्रावधान हो।
		 कार्यपालन अभियंता 		2. अधीक्षण अभियंता, कार्यपालन अभियंता, अनुविभागीय अधिकारी जो निविदायें उनके स्वीकार करने की शिवत के अंदर हैं, उच्च अधिकारी को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत नहीं करेंगे, परंतु जिसमें एक या एक से अधिक मद एकमुश्त भुगतान की सम्मिलित हैं, जिसके भुगतान के लिए उच्च अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हैं, ऐसे मामले में अधीक्षण अभियंता या कार्यपालन अभियंता निविदा स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन एकमुश्त भुगतान की मदो के लिए सक्षम प्राधिकारी की पृथक से स्वीकृति ली जाना चाहिए। 3. एकमुश्त (Lump sum) के रूप में शामिल कोई मद जिसका मूट्य रू. 5000 से अधिक हैं, के लिए उपयुक्त दर निर्धारित की जाए तथा उसे इस निविदा के प्रयोजनार्थ "मान्य दर सूची" (Deemed SOR) समझा जाए तथा इस मद को निविदा में उपरोक्त टीप के अनुसार शामिल किया जाए एवं मदो की अनुसूची में संलग्न किया जाए।
	आपात स्थिति में किसी भी एजेंसी से संयंत्र एवं मशीनरी किराये पर लेना	मुख्य अभियंता	पूर्ण शक्तियाँ	

سوا

S,No.	Description	Authority competent to exercise the powers	Extent of Delegation	Conditions
1	2	3	4	5
64	To debit to "Repairs", the cost of petty and miscellaneous items of works in respect of a		Up to Rs. 10 lakh in each case	
	road work.	2. Chief Engineer	Up to Rs. 5 lakh in each case	
		3. Superintending Engineer	Up to Rs. 2.5 lakh in each case	
		4. Executive Engineer	Up to Rs. 1 lakh in each case	1
65	To sanction estimates for losses due to depreciation of stock.	1. Chief Engineer	Full Powers	
	[10] J. J. G.	2. Superintending Engineer	Up to Rs. 1 lakh	1
		3. Executive Engineer	Up to Rs. 25,000	
	To sanction the payment of lump sum for any item of work.	1. Chief Engineer	Full powers	No lump sum payments may be made for any which is susceptible for measurement notwithstan that such provision exists in the sanctioned estimp. A Superintending Engineer, an Executive Engineer. Sub Divisional Officer would not submit to his
		2. Superintending Engineer	Up to Rs. 20,000	authority a tender which is within his power acceptance but which contains one or more tump sitems the payment of which requires the sanction of higher authority in such cases as the Superintend Engineer or the Executive Engineer may accept tender but separate sanction of the competent authorshould be obtained for payment of the lump sum item 3. Any item included as lump sum and costing must han Rs. 5000/- a suitable rate be fixed and make it "Deemed SOR" item for the purpose of this tender a include this item as such in the tender with the note
90 O		3. Executive Engineer	Up to Rs. 10,000	above and annexed as such in the Schedule of items.
67	To take plant/machinery on hire form any agency in case of emergency	Chief Engineer	Full powers	

OF

स. क्र.	विवरण	शक्तियों के प्रयोग हेतु सक्षम प्राधिकारी	प्रत्यायोजन की सीमा	शर्ते
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	भण्डार इत्यादि के परिवहन तथा घढ़ाई—उतराई से संबंधित व्यय करना		पूर्ण शक्तियाँ	इस शर्त पर कि समस्त प्रमार लोक कार्य लेखा, फार्म नं. 72 में अभिलिखित हो।
69	जहाँ कार्यों के हित में आवश्यक हो, /धनादेश ऑनलाईन मोड के बदले नकद भुगतान करने के लिए उनके अधीनस्थ कर्मियों को अनुमति देना	अधीक्षण अभियंता कार्यपालन अभियंता	रू. 10,000 तक रू. 5,000 तक	कार्यभारित तथा आकस्मिकता से भुगतान प्राप्त कर्मचारियों तथा आउटसोर्सिंग से नियुक्त व्यक्तियों को की जाने वाली मजदूरी के
	का अनुभात दमा	3. अनुविमागीय अधिकारी	रू. ३,००० तक	मुगतान लिए लागू नहीं।
70	उत्पादन लेखा के शेष को समायोजित करना	1. अधीक्षण अभियंता	रू. 1 लाख तक	
		2. कार्यपालन अभियंता	चालू मंडार दरों से 10 प्रतिशत से अधिक नहीं अथवा रू. 1,000 जो भी कम हो।	
71	किसी संभाग द्वारा मंडार रखने की स्वीकृति	1. मुख्य अभियंता	पूर्ण शक्तियाँ	इस शर्त पर कि बजट प्रावधान में उचंत शीर्ष उपलब्ध हो।
		2. अधीक्षण अभियंता	रू. 10 लाख तक	
72	अनुमोदित पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (R/R) कार्यों के अनुसार शासकीय भूमि पर अतिक्रमण हेतु क्षतिपूर्ति का विनिश्चय	भू—अर्जन अधिकारी	पूर्ण सक्तियाँ	राज्य शासन की नीति के अनुरूप।
	निम्नित्खित मापदण्डों पर करार के अधीन भूमि पर देय नहर राजस्व को माफ करने की स्वीकृति — (क) खसरा मंबर जिनमें फसल 50 प्रतिशत से कम तथा 33 प्रतिशत से अधिक सिंचित फसल हो , आधी माफी (ख) खसरा नम्बर जिनमें फसल 33 प्रतिशत से कम हो, पूरी माफी		पूर्ण शक्तियाँ	
74	ऐसे क्षेत्रों में करार के अधीन भूमि पर देय नहर राजस्य की माफी की स्वीकृति, जहाँ उस क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार पानी के शीर्ष कार्य (Head Works) में त्रुटि के कारण न कि पूर्ति में कभी के कारण पानी नहीं दिया जा सका, यद्यपि, वह माफी उपर्युक्त मद में दिये हुए मान के अनुसार मान्य नहीं है।		पूर्ण शक्तियाँ	
75	मानसून की सामान्य विफलता के वर्ष में करार के अधीन भूमि पर देय नहर राजस्य की माफी की स्वीकृति	कार्यपालन अभियंता	पूर्ण शक्तियाँ	
	(gh-			~ •

S.No.	Description	Authority competent to exercise the powers	Extent of Delegation	Conditions	
1	2	3	4	5	
	To incur expenditure in connection with the carriage and handling of stores etc.		Full powers.	Subject to the condition that all such charges are detailed in Public Works Account. form No. 72.	
69	To permit their subordinate officials to make payment in cash instead of by cheque/online mode when this is necessary in the interest of works.	1.Superintending Engineer	Up to Rs. 10,000	Not applicable for wages of work charge or contingent paid employee or of person engaged on outsourcing mode.	
		2. Executive Engineer	Up to Rs. 5,000		
		3. Sub Divisional Officer	Up to Rs. 3,000		
70	To adjust the balance of manufacture	1. Superintending Engineer	Up to Rs. 1 lakh		
	accounts.	2. Executive Engineer	Not exceeding 10% over the current stock rates or Rs. 1,000 whichever is less.		
71	To sanction the holding of stock by any	1. Chief Engineer	Full powers.	Subject to availability of "Suspense Head" in Budget	
	division.	2. Superintending Engineer	Up to Rs. 10 lakh	provision.	
	encroachment on government lands as per approved R/R works.		Full powers.	As per the policy of State Government	
73	To sanction remission of canal revenue payable on account of land under agreement on the following scale:- (a) Half remission in Khasra numbers in which the crop is less than 50% and more than 33% wet crop.		Full powers		
	(b) Full remission in Khasra numbers in which the crop is 33% wet crop or less.				
74	To sanction remission of canal revenue payable on account of land under agreement in the area when owing to a defect in the head works and not due to shortage of supply, water is not delivered when required in that area, though it (remission) is not admissible according to the scale given in above item.		Full powers		
75	To sanction remission of canal revenue payable on account of land under agreement in years of general failure of monsoon.		Full powers		

स. क्र.	विवरण	शक्तियों के प्रयोग हेतु सक्षम प्राधिकारी	प्रत्यायोजन की सीमा	शर्ते "
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
-	माँग करने पर सिंथित क्षेत्र में नहर राजस्व की माफी की स्वीकृति, निम्न मापदण्डों पर — (क) ऐसे क्षेत्र जिसमें फसल 40% से कम तथा 25% से अधिक सिंचित फसल हो, आधी माफी (ख) ऐसे क्षेत्र जिसमें फसल 25% अथवा इससे कम सिंचित हो, पूर्ण माफी		पूर्ण शक्तियाँ	
	जल संसाधन विभाग की भूमि पर घास व लकड़ी काटने, मछली पकड़ने, निजी तालाबों को पानी की आपूर्ति के लिए चराई तथा तालाब किनारे खेती के लिये दिए पदटों के प्रकरणों में यसूली के अयोग्य पट्टे की राशि के अपलेखन की स्वीकृति।		फ. 25,000 तक	
78	मृत्यु या फरारी इत्यादि के कारण व्यक्तिगत देनदारों से वसूली के अयोग्य जल प्रमार की राशि को अपलेखित करने की शक्ति	अधीक्षण अभियंता	व्यक्तिगत मामलों में रू, 5,000 तक	
	बतौर रियायत पट्टे की राशि में घूट प्रदान करना उदाहरणार्थ, जल संसाधन विभाग की भूमि पर घास व लकड़ी काटने, मछली पकड़ने, निजी तालाबों को पानी की आपूर्ति के लिए चराई तथा तालाब किनारे खेती के लिये दिए पट्टों के प्रकरणों में पट्टेघारी द्वारा छठाई गई हानि के कारण।	1. अधीक्षण अभियंता 2. कार्यपालन अभियंता	रू. 10,000, तक रू. 2,000 तक	
80	नहर राजस्य के पूर्ण माफी की स्वीकृति जब विभाग अल्पाविध करार के अधीन क्षेत्र में पानी देने में असफल रहे	अधीक्षण अभियंता	पूर्ण शक्तियाँ	
	निरन्तर तीन वर्षों तक जल प्रदाय करने में विभाग की असफलता पर सिंचाई उपकर के भुगतान से छूट की स्वीकृति	अधीक्षण अभियंता	पूर्ण शक्तियाँ	
	अधिक वसूली अथवा माफी प्रदान करने पर जल प्रमार की वापसी या समायोजन	कार्यपालन अभियंता	पूर्ण शक्तियाँ	
				अवर साम्य स्तारमञ्जू शासन स्तारमञ्जू

S:No.	Description	Authority competent to exercise the powers	Extent of Delegation	Conditions
1	2 .	3	4	5
76	To sanction remission of canal revenue in the area irrigated on demand on the following scale: (a) Half remission in all areas in which the crop is less than 40% and more than a 25% wet crop.		Full powers	
	(b) Full remission in all areas in which the crop is 25% wet crop or less.			
77	To sanction the write-off of irrecoverable amount of leases for the right to cut grass and wood on the Water Resource Department's lands, for fishing for supply of water to private tanks, for grazing and for tank-bed cultivation.	Superintending Engineer/Collector	Up to Rs. 25,000	
78	Powers to Write-off irrecoverable amount of water rates of individual defaulter on account of death or absconding, etc.		Rs. 5000 in individual cases.	
	To grant remission of the amount of a lease as a concession e.g. on account of losses incurred by the leasee in the case of leases for the right to cut grass and wood on lands of the Water Resource Department, for fishing, for the supply of water to private tanks, for grazing and for tank-bed cultivation.	2. Executive Engineer	Up to Rs. 10,000 Up to Rs. 2,000	
80	To grant remission in full of canal revenue when department fails to supply water to the area under short-term agreement.	Superintending Engineer	Full powers	
81	To grant exemption for payment of Irrigation cess when department fails to supply water for consecutive three years.	Superintending Engineer	Full powers	
82	Refund or adjustment of water rates on account of excess recovery or grant of remission.	Executive Engineer	Full powers	
	'		'	व्याप्त स्थापन ज्यापन स्थापन ज्यापन स्थापन